क. जारी करें।
ह०
7.12.07

प्राप्त
हस्ताक्षर
10-12-07

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन
मानक नगर, लखनऊ

कर्मचारी सूचना

विषयः समारोहों के आयोजन हेतु आर.डी.एस.ओ. कर्मचारियों को आवासों के अस्थायी आवंटन के नियम।

—00—

इस विषय में पूर्व के समस्त अनुदेशों के अधिक्रमण में, भविष्य में आर.डी.एस.ओ. कर्मचारियों को आवसों का अस्थायी आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगाः—

1. आर.डी.एस.ओ. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास का आवंटन सिर्फ रेल पास नियमों से शासित उनके आश्रित बच्चों/भाइयों एवं बहनों जिसमें वयस्क बेटे जो पहले सुविधा पास लेते थे, सगे भाई एवं बहन भी शामिल हैं के विवाह तथा अन्य पारिवारिक समारोहों के आयोजन हेतु किया जायेगा।

2. आर.डी.एस.ओ. कर्मचारियों को अस्थायी आवंटन हेतु किराया प्रभार निम्न प्रकार होगाः—

S.No.	Type of accommodation	Rent for 07 days or part thereof (Rs.)
1.	Type-I	264/-
2.	Type-II	467/-
3.	Type-III	602/-
4.	Type-IV	659/-
5.	Type-IV Spl.	2085/-
6.	Type-V	3451/-
7.	Type-VI	4585/-

3. पात्रता के अनुसार आवंटन अधिकतम 07 दिन की अवधि हेतु किया जायेगा। निर्धारित किराये प्रभार की कटौती आवंटी के वेतन से अनु.अधि./स्था.–3/स्था.–4, जिससे संबंधित है, द्वारा की जायेगी। इस आशय की सूचना पिछले माह से संबंधित कटौतियों हेतु प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में अनु.अधि./स्था.–3/स्था.–4 को भेजी जायेगी, जो संबंधित आवंटी से किराए की कटौती सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रत्येक आवंटन हेतु जमानत राशि रु.500/– निर्धारित है। जमानत राशि आवेदक द्वारा अग्रिम के रूप में जमा नहीं की जायेगी। फिर भी, इन नियमों के पैरा ३(क) से (ड.) में उल्लिखित किसी अनुदेश के उल्लंघन करने पर जमानत राशि के बराबर राशि आवंटी के वेतन से काट ली जायेगी।

नोटः— किसी प्रकार की क्षति होने पर, यदि कोई हो तो, संबंधित सेक्टर के सेक्शन इंजीनियर (कार्य), एडीई/ईएमएस द्वारा आवेदक से काटी जाने वाली राशि की सूचना

RESEARCH DESIGNS & STANDARDS ORGANISATION
MANAK NAGAR, LUCKNOW

STAFF NOTICE

Sub: Rules for temporary allotment of quarters to RDSO employees for celebrating ceremonial functions.

~*~*~*~

In supersession of all previous instructions on this subject, henceforth the temporary allotment of quarters to employees of RDSO will be made on the following terms & conditions:-

(1) Allotment of quarter would be made only to RDSO officers and staff for celebrating ceremonial functions/marriage of their dependent children/brothers and sisters governed under Railway Pass Rules including major sons who were earlier included in Privilege Pass and real brothers and sisters.

(2) The rent charges for temporary allotment to RDSO employees will be as under:-

S.No.	Type of accommodation	Rent for 07 days or part thereof (Rs.)
1.	Type-I	264/-
2.	Type-II	467/-
3.	Type-III	602/-
4.	Type-IV	659/-
5.	Type-IV Spl.	2085/-
6.	Type-V	3451/-
7.	Type-VI	4585/-

(3) The allotment will be made for a maximum period of SEVEN days as per entitlement. The prescribed rent charges will be recovered from the salary of the allottee by SO/E-III or Estt.-IV, as the case may be. An advice to this effect will be sent in the first week of every month for the recoveries relating to the preceding month to SO/E-III /Estt.-IV who, in turn, shall ensure recovery of the rent from the concerned allotees.

(4) Security money of Rs.500/- is fixed for each allotment. The security money will not be deposited in advance by the applicant. However, in case of violation of any instructions mentioned in para-8 (a) to (e) of these rules, an amount equal to the security money shall be recovered from the salary of the allottee.

NOTE: Section Engineer(W) of concerned Sector/ADE, EMS will advise to SO/E-III/Estt.-IV the amount to be recovered from the applicant on account of damages, if any. In case of violation of any instructions mentioned in para-8 (a) to (e) of these rules, an amount equal to the security money will be recovered from the salary of the applicant by

...mp Allot

अनु.अधि. / स्था.–3 / स्था.–4 को भेजी जायेगी। इन नियमों के पैरा 8(क) से (ड.) में उल्लिखित अनुदेशों का उल्लंघन करने के मामले में, संबंधित सेक्टर के सेक्शन इंजीनियर (कार्य), एडीई / ईएमएस द्वारा सूचित करने पर अनु.अधि. / स्था.–3 / स्था.–4 द्वारा आवेदक के वेतन से जमानत राशि के बराबर धनराशि की कटौती कर ली जायेगी ।

5. आवंटी का आवास की बिजली से सजावट हेतु कार्यकारी निदेशक / प्रशासन व ईएमएस से अनुमति लेनी होगी। एडीई / ईएमएस यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत कनेक्शन सुरक्षित एवं सही तरीके से किया गया हो। एडीई / ईएमएस उपयोग की गई बिजली के प्रभार की सूचना अनु.अधि. / स्था.–3 / स्था.–4 को देंगे तथा उसकी कटौती कर्मचारी के वेतन से की जायेगी।

6. आर.डी.एस.ओ. कॉलोनी में केवल खाली आवास, यदि उपलब्ध हो, ही इस उद्देश्य से आवंटित किये जायेंगे।

7. अस्थायी आवंटन हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन कम से कम 10 दिन पहले निमंत्रण पत्र के साथ अनु.अधि. / प्रशा.–2 को प्रस्तुत करना चाहिए। निमंत्रण–पत्र में आवेदक का नाम भी होना चाहिए। निमंत्रण पत्र के न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. आवंटी को इस पैरा में उल्लिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए, ऐसा न होने पर जमानत राशि के बराबर धनराशि की कटौती उसके वेतन से काट ली जायेगी:–

क. लाउडस्पीकर / साउंडबाक्स का उपयोग प्रतिबंधित है।
ख. मदिरा या अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया जायेगा।
ग. आवास का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाये, जिसके लिए उसका आवंटन किया गया है तथा इससे पड़ौसियों को कोई असुविधा न हो।
घ. आवंटी इस बात की पूरी सावधानी बरतेगा कि आग न लगे। पटाखों एवं किसी अन्य प्रकार की खतरनाक आतिशबाजी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
ड. आवंटी परिसर को साफ–सुथरा बनाए रखेगा। उन्हें पान थूकने से रोकने हेतु पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए।

नोट:– संबंधित सेक्टर के सेक्शन इंजीनियर (कार्य) यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन न हो।

9. आवेदक द्वारा आवंटन को निरस्त कराने पर, आवंटन अवधि का पूरा किराया आवेदक के वेतन से काट लिया जायेगा।

नोट:– दूसरे कर्मचारी के नाम में आवंटन का स्थानांतरण अनुमत नहीं है।

SO/E-III/Estt.-IV on advise from the SE(W) of concerned sector/ADE, EMS.

(5) The allottee will have to take permission from ED/Admn. & EMS for illumination of the quarter. ADE/EMS will ensure that electrical connections are made in a safe and proper manner. ADE/EMS will advise the charges of electricity consumption to SO/E-III/Estt.-IV and the same will be recovered from salary of concerned employee.

(6) Only vacant quarters in RDSO Colony, if available, will be allotted for this purpose.

(7) Application for temporary allotment must be submitted to Section Officer/Admn.-II in prescribed form at least 10 days in advance alongwith **INVITATION CARD**. In the invitation card, name of applicant shall also appear. In absence of invitation card, application **will not be entertained**.

(8) The allottee will have to observe the restrictions mentioned in this para failing which an amount equal to the security money shall be recovered from his salary:-

(a) Use of Loudspeakers/sound box is prohibited.
(b) No liquor or any other intoxicants will be served.
(c) The quarter should be strictly used for the purpose for which it is allotted and it should not cause any inconvenience to the neighbors.
(d) The allottee will suitably guard against out-break of fire. Use of crackers or any other kind of dangerous firework is strictly prohibited.
(e) The allottee should take care to keep the premises neat and clean. They should suitably guard against beetal (PAN) spitting.

NOTE: Section Engineer (W) of concerned Sector will ensure that above restrictions are not violated.

(9) In the event of cancellation of an allotment by the applicant, full rent for the period of allotment will be recovered from the salary of the applicant.

NOTE: Transfer of allotment in the name of another employee is not permissible.

(10) RDSO Admn. reserves the right to cancel the allotment in public interest without any notice and without assigning any reason. In such an eventuality, nothing will be recovered from the salary of the applicant.

NOTE: In case of dispute the decision of ED/Admn.& EMS will be final.

(11) The allottee will also observe all instructions issued by the civil authorities during the period of allotment.

10. आर.डी.एस.ओ. प्रशासन को बिना किसी सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये जनहित में आवंटन को निरस्त करने का अधिकार है। ऐसा होने पर आवेदक के वेतन से कोई कटौती नहीं की जायेगी।

नोट:– किसी तरह का विवाद होने पर कार्य.निदे./प्रशा. व ईएमएस का निर्णय अंतिम होगा।

11. आवंटन के दौरान आवंटी को सिविल प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुदेशों का भी पालन करना होगा।

12. आवंटन के दौरान आवास में किसी प्रकार की क्षति हेतु आवंटी उत्तरदायी होगा।

13. यद्यपि आवास में विद्युत एवं जल की निर्बाध आपूर्ति का हर संभव प्रयास किया जायेगा, फिर भी आर.डी.एस.ओ. प्रशासन अपने नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से इन सेवाओं में रुकावट हेतु उत्तरदायी नहीं होगा और परिसर में चोरी आदि हेतु भी उत्तरदायी नहीं होगा।

(आर.एल. यादव)
कृते महानिदेशक

सं.ए/एटी/आर/एलकेओ
दिनांक: 07.12.2007

वितरण

वितरण सूची के अनुसार

Temp Allot

(12) Allottee will be responsible for any damage in the quarter during the period of allotment.

(13) Although every effort is made to provide uninterrupted electricity and water supply in the quarter, RDSO Admn. will not be responsible for disruption of these services due to reasons beyond its control, nor it will be responsible for theft etc. in the premises.

7.12.07
(R.L. Yadav)
for Director General

No.A/AT/R/LKO
Dated: 07.12.2007

Distribution
As per circulation slip